नोट

इकाई–11: नातेदारी व्यवस्था में क्षेत्रीय विभिन्नता और उसके सामाजिक-सांस्कृतिक सह-संबंध (Regional Variations in Kinship System and Its Socio-Cultural Co-relation)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

11.1 नातेदारी व्यवस्था में क्षेत्रीय विभिन्नता और उसके सामाजिक-सांस्कृतिक सह-सम्बन्ध (Regional Variations in Kinship System and Its Socio-Cultural Co-relation)

11.2 दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था (Kinship System in South India)

11.3 पूर्वी भारत में नातेदारी व्यवस्था (Kinship System in Eastern India)

11.4 भारत में नातेदारी: उत्तर व दक्षिण भारत (Kinship in India: North and South India)

11.5 सारांश (Summary)

11.6 शब्दकोश (Keywords)

11.7 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

11.8 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे–

- विभिन्न क्षेत्रों में वंशावली ढाँचे की जानकारी।
- विभिन्न क्षेत्रों के वंशावली ढाँचे में सामाजिक-सांस्कृतिक सह-संबंध।

प्रस्तावना (Introduction)

बच्चे को जन्म देने की इच्छा एक अन्य प्रकार के सुदृढ़ संबंध का भी सूत्रपात करती है। यह संबंध स्त्री और पुरुष का अपने ससुराल वालों के साथ संबंध के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार के रिश्ते जो सामाजिक या कानूनी

रूप से परिभाषित वैवाहिक सम्बन्धों के कारण बनते हैं विवाह सम्बन्धी नातेदारी कहे जाते हैं। वैवाहिक रूप से संबद्ध रिश्तेदार एक दूसरे से खून के आधार पर नहीं जुड़े होते। इस प्रकार नातेदारी को हम रक्त सम्बन्ध या शादी के आधार पर निसृत सामाजिक सम्बन्ध के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। नातेदारी समूह (किन ग्रुप) एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य रक्त अथवा विवाह के बंधन के आधार पर परस्पर जुड़े होते हैं।

विषय-वस्तु—प्रत्येक समाज में अन्वय के नियम दो कारणों से महत्त्वपूर्ण होते हैं—

(*i*) यह प्रत्येक व्यक्ति को स्वत: एक सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान के स्तर पर प्रतिष्ठित करता है। इसके अनुसार व्यक्ति साधिकार, सामाजिक प्रतिष्ठा की भूमिकाओं व जिम्मेदारियों में सहभागी बनता है। नातेदारी समूह के सदस्यों के बीच पारस्परिक आदान-प्रदान तथा सहयोग के अलावा अधिकार और जिम्मेदारियों से जुड़े ये लोग शादी-विवाह के नियमों का पालन करते हैं।

(*ii*) कानून या पूर्णत: स्थापित प्रथा अथवा रिवाज के अनुसार अन्वय के नियम उत्तराधिकार के कुछ प्रकारों को परिभाषित करते हैं। मसलन अधिकार जो जन्म से स्थापित होता है, इसके अनुसार सबसे बड़ा बेटा या सबसे छोटा बेटा या सभी बेटे और बेटियाँ मृतक की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। उसी प्रकार शादी के आधार पर उत्तराधिकार होता है जिसके अनुसार पति के मरने पर सम्पत्ति की उत्तराधिकारी पत्नी होती है।

द्विपक्षीय समूह और एक पक्षीय समूह

परिवार नातेदारी के बंधन से अटूट रूप से बाँधा होता है। यह एकता दो तरफ जाती है—पिता के परिवार के मूल की तरफ और माता के परिवार के मूल की तरफ। किसी न किसी कारण से किसी एक पक्ष पर ही जोर दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए आधुनिक व्यवहार में हम माता के परिवार के कुलनाम को नकार देते हैं। इतना ही नहीं, शादी हो जाने के बाद लड़कियाँ अपने पति के नाम के आगे जुड़ने वाले कुलनाम को ग्रहण कर लेती हैं। पर परिवार दोनों में से किसी भी सहयोगी पक्ष को नहीं नकारता। इसीलिए इसे द्विपक्षीय समूह माना जाता है।

नातेदारी को एकता का आधार मानने वाले दूसरे प्रकार के समूह हैं जो द्विपक्षीय समूहों से भिन्न हैं क्योंकि वे एक सहयोगी पक्ष को पूरे तौर पर नकार देते हैं। ये सब एक पक्षीय समूह कहे जाते हैं।

नातेदारी का प्रसार-क्षेत्र

नातेदारी समूह को उसमें शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर विस्तृत प्रसारी या संकीर्ण प्रसारी समूह कहा जाता हैं। आधुनिक नातेदारी व्यवस्था संकीर्ण प्रसार क्षेत्र वाली व्यवस्था है जबकि आदि कालीन कबीला या सिब व्यापक क्षेत्र वाली व्यवस्था है। इसमें शामिल लोग के आपेक्षिक रूप से इतने बड़े क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं कि किसी-न-किसी मिथकीय पूर्वज को बीच में लाए बगैर उनके आपसी सम्बन्धों की पहचान मुश्किल है।

नातेदारी व्यवहार

नातेदारी व्यवहार दो प्रमुख कार्य सम्पादित करते हैं—

प्रथम तो ये नातेदारों के विशिष्ट समूह निर्मित करते हैं। इस प्रकार विवाह के सामाजिक अन्वेषण से प्रत्येक माँ को एक पति निश्चित होता है जिससे पिता के बच्चे माँ के बच्चे हो जाते हैं। इससे माता, पिता और बच्चों के विशिष्ट समूह बनते हैं जिसे हम परिवार कहते हैं। अतिरिक्त नियमों और सामाजिक परिपाटियों द्वारा विस्तृत नातेदारी समूहों का गठन होता हैं, जैसे विस्तृत परिवार या वंश या गोत्र का कबीला।

नातेदारी सम्बन्धी नियमों का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य नातेदारों के बीच भूमिका सम्बन्धों को अनुशासित करना है। नातेदारी एक प्रकार के सामाजिक 'ग्रिड' का गठन करता है। किसी भी समाज में लोग जन्मगत बंधनों या समान नातेदारी समूह की सदस्यता के कारण परस्पर संपृक्त होते हैं। नातेदारी के उपयोग से इन सामाजिक समूहों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मेल-जोल करते हैं। यह सम्बन्धों की उचित भूमिकाओं एवं रिश्तों को परिभाषित करता है, जैसे पिता और पुत्री के बीच सम्बन्ध, भाई-बहन के बीच सम्बन्ध, युवा दामाद तथा सास के बीच के सम्बन्ध आदि। अत: नातेदारी व्यवहार द्वारा सामाजिक जीवन नियमित होता है।

नोट

सामाजिक जीवन के नियामक के रूप में नातेदारी का महत्त्व तीन बातों पर आधारित है: (*i*) उस हद तक जहाँ तक व्यक्ति अपने रक्त-सम्बंधियों से घिरा होता है। यदि एक ही वंश के लोग विस्तृत इलाकों में विखरे हों तो नातेदारी व्यवहार की भूमिका सीमित होगी। (*ii*) प्रतिमानित नातेदारी व्यवहार के विकास का स्तर। कुछ सामाजिक लोगों में सम्बन्ध इतने प्रतिमानित होते हैं कि आकस्मिकता के लिए जगह बहुत कम होती है। कुछ समाजों में नातेदारी का निश्चित 'पैटर्न' नहीं होता जिससे व्यक्तिवादी व्यवहार बहुत ज्यादा होने की सभावना होती है। (*iii*) लोगों की भूमिकाएँ निश्चित करने के लिए वैकल्पिक विकास का स्तर। शहरी क्षेत्रों में हमारा अपना व्यवहार नातेदारी के नियमों से प्रभावित नहीं होता क्योंकि हम नातेदारों के साथ आमतौर पर अंत: क्रिया नहीं करते। यह स्थिति एक सामान्य किसान के गाँव के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति से सम्बद्ध होता है। परिणामत: कोई भी व्यक्ति अपने वंश के लोगों की उपस्थिति में ही कोई काम करता है। बिल्कुल छोटे समाज में जहाँ भौगोलिक गतिशीलता की थोड़ी या बिल्कुल भी संभावना नहीं होती नातेदारी व्यवहार ही सामाजिक व्यवहार को नियमित करते हैं।

11.1 नातेदारी व्यवस्था में क्षेत्रीय विभिन्नता और उसके सामाजिक-सांस्कृतिक सह-सम्बन्ध (Regional Variations in Kinship System and Its Socio-Cultural Co-relation)

किसी भी समाज की नातेदारी व्यवस्था उस समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक दशाओं में जुड़ी होती हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है: केरल समाज की संरचना में ऐसे कौन से तत्व हैं जो वहाँ एक ओर तो मातृवंशीय और दूसरी ओर पितृवंशीय नातेदारी परम्परा को जन्म देते हैं। ऐसी कौन-सी बात है जहाँ उत्तर भारत में संयुक्त परिवार हैं और दक्षिण में थारवाड़? स्पष्ट है, नातेदारी की ये विभिन्नताएँ हैं और इनका उत्तर, उत्तर भारत तथा केरल की सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से है। वास्तविकता यह है कि उत्तर भारत में पितृवंशीय परिवार हैं और दक्षिण भारत के केरल के कुछ क्षेत्रों में मातृवंशीय परिवार हैं।

नोट्स

पूर्व के जयन्तिया पहाड़ियों में खासी जनजाति हैं। इसकी परम्परा और सामाजिक तथा सांस्कृतिक विरासत उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्षेत्रों से भिन्न है। ऐसी अवस्था में नातेदारी की विभिन्नताओं-पितृवंशीय और मातृवंशीय व्यवस्थाओं का अन्तर सामाजिक-सांस्कृति संदर्भ में देखा जा सकता है।

यहाँ हम इन तीनों क्षेत्रों—उत्तर, दक्षिण और पूर्व की नातेदारी की विभिन्नता को उनके सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में देखेंगे।

उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था (Kinship System in North India)

इरावती कर्वे अपनी पुस्तक के प्रारम्भ में यह जोर देकर कहती हैं कि भारतीय समाज को समझने के लिये भाषा और परिवार बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। ये संस्कृति के अंग हैं। भारत का उत्तरी क्षेत्र उत्तर में हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का क्षेत्र है। इस क्षेत्र की भाषाएँ इण्डो-आर्यन भाषा परिवार की इस संस्कृति ने इस क्षेत्र को एक ही नातेदारी व्यवस्था के होते हुए भी यहाँ शब्दों की संरचना में थोड़े बहुत अन्तर दिखायी दे जाते हैं। इस क्षेत्र की नातेदारी व्यवस्था का विवरण हम—(1) नातेदारी वर्ग, (2) नातेदारी शब्दावली, (3) विवाह के नियम, और (4) नातेदारों में औपचारिक उपहारों का आदान-प्रदान देंगे।

1. नातेदारी वर्ग (Kinship Groups)

उत्तर भारत के नातेदारों में मुख्य समूह पितृवंश है। इसका सम्बन्ध जाति और उपजाति से है। पितृवंश के साथ स्वत: गोत्र, जाति और उपजाति जुड़े होते हैं।

नोट

(*i*) पितृवंश

नातेदारी वर्ग में बहुत बड़ा समूह पितृवंश का है। उत्तर भारत में **एकलवंशीय परम्परा** (Unilineal) है। जब वंश का पता केवल एक वंश परम्परा के माध्यम से होता है तो उसे एकलवंशीय परम्परा कहते हैं। पितृवंश परम्परा पिता से पुत्र को जाती है। इस समूह के सदस्य एक-दूसरे को सहायता देते हैं लेकिन कभी-कभी सम्पत्ति को लेकर दोनों में संघर्ष भी होता है। संघर्ष के होते हुए कम से कम धर्म विधियों में तो पितृवंशीय समूह के सदस्य एक-दूसरे की सहायता करते हैं। हमारे सामने **लेविस, मिनटर्न, हिचकाक, बेरेमन** और **निकालस** आदि के कुछ अध्ययन हैं जो बताते हैं कि उत्तर भारत में धर्म विधियों में एक-दूसरे की बड़ी सहायता करते हैं।

पितृवंश के साथ में उत्तराधिकार के नियम भी जुड़े रहते हैं। इस क्षेत्र में सम्पत्ति का हस्तान्तरण पितृवंश परम्परा पर आधारित होता है। होता यह है कि इस वंश के सदस्य आर्थिक और कानूनी रूप से परिवार की सम्पत्ति में अपना योगदान देते हैं।

(*ii*) गोत्र

वंश परम्परा एक बहिर्विवाही समूह है। इसका अर्थ यह है कि एक ही वंश के लड़के-लड़की आपस में विवाह नहीं कर सकते। सामान्य रूप से ऐसी इकाई जिसमें विवाह नहीं किया जा सकता उसे सामाजिक मानवशास्त्र में **क्लान** (Clan) कहते हैं। हिन्दू जातियों में इसे गोत्र कहते हैं। गोत्र का सामान्य अर्थ पूर्वज से जोड़ा जाता है। पर कई बार गोत्र काल्पनिक भी होता है। गोत्र और वंश परम्परा में बड़ा अन्तर है। **गोत्र तो वास्तविक पूर्वज होता है, जबकि वंश काल्पनिक होता है। इस** अन्तर के होते हुए भी गोत्र और वंश बहिर्विवाही समूह के महत्त्वपूर्ण सदस्य होते हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें–

1. भारतीय समाज को समझने के लिए भाषा और परिवार बहुत ..... हैं।
2. इस क्षेत्र की भाषाएँ ..... भाषा परिवार की इस संस्कृति ने इस क्षेत्र को एक ही नातेदारी व्यवस्था के होते हुए भी यहाँ शब्दों की संरचना में थोड़े बहुत अन्तर दिखाई है।
3. गोत्र तो वास्तविक पूर्वज होता है, जबकि ..... काल्पनिक होता है।

(*iii*) जाति और उपजाति

वंश परम्परा तथा गोत्र के अतिरिक्त एक ही गाँव के अथवा निकट के गाँव वाले जाति समूहों के परिवारों में नातेदारी पद्धति का ताना-बाना फैला होता है। इन जातियों में अन्तर्विवाह होता है। हर जाति उपजातियों में बँटी होती है और हर उपजाति एक जाति की सम्पूर्ण भूमिकाएँ है। उप जातिगत नातेदारों में हमें उन व्यक्तियों को भी सम्मिलित करना चाहिये जो विवाह के माध्यम से सम्बन्धी बने हैं। अर्थ यह है कि **हमारे विवाह सम्बन्धी हमारी जाति या उपजाति के होते हैं।** ये नातेदार माँ की ओर से होते हैं तो उन्हें **मातृक नातेदार** (Uterine Kin) कहते हैं और जो नातेदार पत्नी के माध्यम से बनते हैं उनको हम **विवाह सम्बन्ध से उपजे नातेदार** (Affinal Kin) कहते हैं। मातृक और विवाह सम्बन्धी नातेदार वंश परम्परा या गोत्र के नातेदार नहीं होते। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे यदि सम्भव हो तब हमारी सहायता करें।

2. नातेदारी शब्दावली (Kinship Vocabulary)

नातेदारी की एक विशिष्ट शब्दावली होती है। यह शब्दावली हमारे सामाजिक सम्बन्धों को बताती है। जहाँ एक ओर शब्दावली हमारे जैविकीय तथा सामाजिक सम्बन्धों को बताती है वहीं वह हमारे सामाजिक जीवन के सम्पूर्ण दर्शन को समझने में भी मदद देती है। आजकल तो **उत्तर संरचनावादी** (Post-structuralist) इस बात पर जोर देते हैं कि भाषा की संरचना की तरह नातेदारी की भी एक निश्चित संरचना होती है। इसी कारण नातेदारी शब्दावली का अध्ययन भाषा और संस्कृति के साथ सरोकार रखता है।

नोट

(*i*) उत्तर भारतीय नातेदारी शब्दावली का वर्णनात्मक स्वरूप

नातेदारी शब्दावली नातेदारों के सम्बन्धों को भाषा में बताती है। उत्तर भारत में पायी जाने वाली नातेदारी शब्दावली को हम **वर्णनात्मक** (Descriptive) पद्धति कहते हैं। नातेदारी शब्दावली वक्ता की दृष्टि से सम्बन्धों का सीधा-सादा वर्णन करती हैं। नातेदारी शब्दावली वक्ता की दृष्टि से सम्बन्धों का ठीक-ठीक वर्णन करती है। इस शब्दावली द्वारा बहुत दूर के नातेदारी सम्बन्धों का ठीक-ठीक वर्णन किया जा सकता है। उदारहण के लिये अंग्रेजी शब्दावली के **अंकल, आंटी, कज़िन** जैसे शब्दों से यह स्पष्ट नहीं होता कि इस शब्द विशेष का माँ की तरफ से या पिता की तरफ से प्रयोग हुआ है। उत्तर भारत की नातेदारी शब्दावली में यह अर्थ बहुत स्पष्ट दिखायी देता है। उदाहरण के लिए जब हम चचेरा भाई कहते हैं तो आसानी से इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि यह पिता के छोटे भाई अर्थात् चाचा का पुत्र है और इसी प्रकार इसके साथ भाई का सम्बन्ध है। इसी तरह से ममेरा भाई का अर्थ यह है कि यह माँ के भाई अर्थात् मामा का पुत्र है।

लुई ड्यूमों ने उत्तर भारत की नातेदारी का वर्णनात्मक विश्लेषण किया है। "इसमें सभी प्राथमिक सम्बन्धों का वर्णन किया जाता है। 'मैं' (अहं) से शुरू होने वाले प्राथमिक शब्दावली के पहले क्रम में वे शब्द हैं जो (*i*) सहोदर (भाई/बहिन) वाली पीढ़ी से सम्बन्ध को स्पष्ट करते हैं, (*ii*) विवाह सम्बन्ध बताते हैं, तथा (*iii*) अगली व पिछली पीढ़ी के वंशत्वगत सम्बन्ध बताते हैं। इसके बाद दूसरे क्रम के सम्बन्ध हैं जो प्राथमिक सम्बन्धों को मिलाकर बनाये गये हैं, अर्थात् इसमें वंशत्व + वंशत्व, वंशत्व + सहोदर, सहोदर + वंशत्व, विवाह + वंशत्व तथा विवाह + सहोदर के सम्बन्धों को दर्शाने वाले शब्द आते हैं। सम्बन्धों के तीसरे क्रम में हमें वंशत्व + विवाह + वंशत्व से बने सम्बन्धों के बारे में मालूम होता है। इसके अतिरिक्त **ड्यूमों** (1966) के अनुसार उत्तर भारत में नातेदारी शब्दावली **वर्गीकरणात्मक** (Classificatory) नहीं है क्योंकि यह नातेदारी शब्दों का वर्गीकरण विपरीत सम्बन्धों के आधार पर नहीं करती है बल्कि इसमें हमें प्राथमिक सम्बन्धों का बढ़ा हुआ रूप विभिन्न क्रमों में मिलता है।"

उत्तर भारत की वर्णनात्मक नातेदारी की शब्दावली को देखने से ज्ञात होता है कि यहाँ चचेरे और फुफेरे-ममेरे भाईयों के बीच स्पष्ट अन्तर है। भाई के बच्चे, भतीजे, भतीजियाँ कहलाते हैं और बहिन के बच्चे भानजे, भानजियाँ कहलाते हैं। इन दो श्रेणियों के अन्तर से कभी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रहती। सदैव हमारे **समानान्तर** (Parallel) नातेदार हमारी वंश परम्परा के सदस्य होते हैं और वे प्राय: लगभग एक ही गाँव में भी रहते हैं। इसके विपरीत बहिन की संतान या भानजे-भानजियाँ सदा ही दूसरी परम्परा समूह के सदस्य होते हैं। वे प्राय: रहते भी दूसरे गाँव या शहर में हैं।

(*ii*) सामाजिक व्यवहार

इरावती कर्वे ने उत्तर भारत की भाषाओं में नातेदारी शब्दावली की सूची दी है। कर्वे के अतिरिक्त जी. एस. घुरिये ने भी आर्य नातेदारी शब्दावली का विश्लेषण किया है। नातेदारी शब्द के प्रयोग से ही स्पष्ट हो जाता है कि किसी नातेदार से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिये **ऑस्कर लेविस** (1958) ने उत्तर भारतीय गांवों से सम्बन्धित अपने अध्ययन में व्यक्ति और उसके बड़े भाई की पत्नी के बीच सम्बन्ध और विन्यास का वर्णन किया है। इसे हम देवर-भाभी के सम्बन्ध कहते हैं। इन सम्बन्धों में हँसी-मज़ाक का रिश्ता होता है। इस नातेदारी व्यवहार के बिल्कुल विपरीत एक स्त्री का अपने पति के पिता के साथ शील-संकोच का रिश्ता होता है। इसी प्रकार व्यवहार स्त्री अपने पति के बड़े भाई के साथ करती है। पति के पिता के लिये **ससुर** और पति के बड़े भाई के लिये **जेठ** शब्द का प्रयोग किया जाता है।

3. विवाह के नियम (Rules of Marriage)

उत्तरी भारत में विवाह के निश्चित नियम होते हैं। इन नियमों का सम्बन्ध विभिन्न नातेदारों से होता है। शोभिता जैन कहती हैं कि उत्तर भारत में विवाह के जो नियम हैं, वे **निषेधात्मक** (Negative) हैं। गोत्र से बाहर विवाह नहीं करना, भाई-बहिनों के बीच विवाह नहीं करना आदि निषेध हैं। अर्थ हुआ, इन निषेधों के बाहर विवाह किया जा सकता है।

नोट

4. नातेदारों में औपचारिक उपहारों का आदान-प्रदान (Exchange of Gifts among Kins)

किसी भी परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक, ऐसे अवसर आते हैं जब नातेदारों के बीच में आदान-प्रदान होता है। आमतौर पर वधू-पक्ष वर पक्ष की तुलना में अपनी निम्न प्रस्थिति के अनुकूल विवाह के दौरान उपहार देते हैं। कहना यह चाहिये कि उपहार देना और लेना दोनों ही एक सामाजिक गतिविधि है जो नातेदारी सम्बन्धों को बनाये रखते हैं। यहाँ हम फिर लुई ड्यूमों के उत्तर भारत के नातेदारी अध्ययन का दृष्टान्त देंगे। ड्यूमों कहते हैं कि "माँ के भाई (सहोदर नातेदार) और पत्नी के भाई (वैवाहिक नातेदार) के एक जैसे ही औपचारिक प्रकार्य होते हैं। पत्नी का भाई (साला) कुछ वर्षों के बाद बच्चों का मामा हो जाता है, इसलिये इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। **ए. सी. मेयर** ने मालवा के देवास जिले के एक गाँव का अध्ययन किये हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति के मामा द्वारा दिये गये सभी उपहार ममेरे उपहार कहलाते हैं। मामा द्वारा दिये जाने वाले उपहारों के विपरीत अपने पितृवंश द्वारा दिये गये उपहार **बान** (मालवा में) कहलाते हैं। दूसरी ओर बान शब्द का प्रयोग उस उपहार के लिये भी होता है जिसे अन्य रिश्तेदार जैसे वर की बहिन का पति (वर का जीजा), वर की पत्नी के भाई (वर का साला) को देता है।" इससे पता चलता है कि उपहारों के आदान-प्रदान की गिनती में वर का जीजा अथवा पिछली पीढ़ी के संदर्भ में फूफा को वर के साले (अथवा पिछली पीढ़ी के संदर्भ में मामा) के समकक्ष पितृवंश का ही एक अंग समझा जाता है।

मृत्यु के अवसर पर भी कुछ आदान-प्रदान होते हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु पर उसका पुत्र **मुख्य विलापकर्ता** (Chief Mournex) होता है। उसके सिर पगड़ी बाँधने का रस्म उस घनिष्ठ सम्बन्धी द्वारा की जाती है जो उस परिवार से वधू (लड़की) ले जा चुका हो। दूसरे शब्दों में, यह पगड़ी विशेष रूप से बहिन के पति अर्थात् जीजा या पिता की बहिन के पति (फूफा) द्वारा बाँधी जाती है।

जब हम विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर उपहारों की आदान-प्रदान की चर्चा करते हैं तब यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरी भारत में हमें इस क्षेत्र में विषमता दिखाई देती है।

नोट्स

एफ.जी. बेली (1957), ऑस्कर लेविस (1958), ए. सी. मायर (1960) के अध्ययनों से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि **वर-पक्ष, वधू-पक्ष से ऊँचा होता है और सभी परिस्थितियों में उपहार देने का कर्तव्य वधू-पक्ष का होता है। इससे ज्ञात होता है कि उत्तर भारत में अनुलोम विवाह, विवाह का मुख्य स्वरूप है** और इस कारण वधू-पक्ष की तुलना में वर पक्ष हमेशा ऊँचा स्थान रखता है।

11.2 दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था (Kinship System in South India)

जब हम दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था का उल्लेख करते हैं तब उसके अन्तर्गत जैसा कि **इरावती कर्वे** ने किया है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों को सम्मिलित करते हैं। यहाँ की चार मुख्य भाषाएँ—तमिल, कन्नड़, तेलगु और मलयालम—द्रविड़ भाषा परिवार की सदस्य हैं। **दक्षिण भारत में बहुतायत रूप से पितृवंश और मातृवंश दोनों परम्पराओं का उल्लेख करेंगे—**

पितृवंश

ठीक उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी पितृवंश की परम्परा प्रचलित है। **कैथलीन गफ़** (1955) ने तंजोर जिले के ब्राह्मणों के पितृवंशीय परिवारों का अध्ययन किया है। ये परिवार छोटे-छोटे समुदायों में बँटे हुए हैं। **गफ़** को प्रत्येक जाति की एक से लेकर बारह तक बहिर्विवाह पितृवंश परम्पराएँ एक गाँव में मिली हैं। **गफ़** बताती हैं कि तंजोर जिले में पितृवंश को **कुट्टम** कहते हैं। प्राय: **कुट्टम** के सारे सदस्य एक या एक से अधिक गाँवों में

नोट

रहते हैं। आगे चलकर ये कुट्टम पुन: विभाजित हो जाते हैं। प्रत्येक कुट्टम अपने पूर्वज का नाम धारण करता है और यही उसके प्रधान का नाम भी होता है। यह नाम सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकार में प्राप्त होता है जो कि उस समूह के प्रधान का पद भी सम्भालता है।

कैथलीन गफ़ और लुई ड्यूमों ने दक्षिण भारत की विवाह सम्बन्धी परम्पराओं या नियमों का उल्लेख किया है। यहाँ विवाहजन्य अर्थात् जिनके साथ विवाह हो सकता है उस नातेदारी के सम्बन्धी होते हैं। ये वे सम्बन्धी होते हैं जो माँ तथा पत्नी के जन्म परिवार के सदस्य होते हैं। इन्हें सामान्यत: **मामा-मच्चिनन** के रूप में जाना जाता है। इस वर्ग में वे समूह भी आते हैं जिन समूहों में अपनी बहिन अथवा पिता की बहिन का विवाह होता है। **ड्यूमों** कहते हैं, पितृवंश परम्परा और विवाहजन्य सम्बन्धियों के बीच अन्त:क्रिया सौहाद्रपूर्ण होती है।

11.3 पूर्वी भारत में नातेदारी व्यवस्था (Kinship System in Eastern India)

भारत के उत्तर-पूर्व में मातृवंशीय नातेदारी व्यवस्था है। यह व्यवस्था गारो जनजाति में मिलती है। इस जनजाति के लोग मेघालय राज्य का गारो पर्वत-श्रेणियों में पाये जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण कुछ गारो मैदानी इलाकों में भी बस गये हैं। मेघालय के पड़ोस में खासी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ खासी जनजाति रहती है। **खासी और गारो दोनों जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार पाये जाते हैं।** इन दोनों जनजातियों में जिस प्रकार की मातृवंशीय व्यवस्था है उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। देखा जाये तो इन दोनों जनजातियों की नातेदारी व्यवस्था के बारे में हमारे पास बहुत थोड़ी सामग्री है। **ची. नकाने** तथा **परिमलचन्द्र** ने गारो जनजाति में शोध कार्य किया है। यह शोधकार्य आज से लगभग 40 वर्ष पहले हुआ था। नकाने के अतिरिक्त **बरलिंग** तथा **गोस्वामी एवं मजूमदार** ने गारो जनजाति की सामाजिक स्थिति का अच्छा अध्ययन किया है।

इन दोनों जनजातियों—गारों और खासी में मातृसत्तात्मक नातेदारी व्यवस्था है। इन जनजातियों में **क्लान** (Clan) का महत्त्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक क्रिया कलापों में मातृवंश का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन जातियों में गाँव एक महत्त्वपूर्ण इकाई है। महत्त्वपूर्ण इकाई इसलिये है कि जहाँ गारो में गाँव बहिर्विवाही समूह है वहाँ खासी गाँव अन्तर्विवाही समूह है। दूसरे शब्दों में, कोई भी खासी अपने गाँव से बाहर विवाह नहीं कर सकता। एक ही गाँव में कई कुलों के परिवारों में बसने के कारण यह सम्भव हुआ कि एक ही गाँव के लोग आपस में विवाह सम्बन्ध कर पाये।

गारो जनजाति के विवाह के नियम

गारो में विवाह का नियम है कि मामा, बुआ के बच्चों में विवाह की अनुमति है परन्तु पत्नी की बहिन से भाई का विवाह तथा पति की बहिन से भाई का विवाह निषेध है। अपने गोत्र में विवाह वर्जित है। यहाँ दामाद अपने को ससुराल के नये वातावरण में जाने के लिय तैयार करता है। दामाद की स्थिति गारो जनजाति में ऐसी ही होती है जैसे उत्तर के पितृवंशीय परिवार में बहू की।

खासी जनजाति में नातेदारी व्यवस्था (Kinship System in Khasi Tribe)

खासी जनजाति की एक विशिष्ट अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था से उनकी नातेदारी व्यवस्था जुड़ी हुई है। यह जनजाति **झूम खेती** करती है। गाँव की सम्पूर्ण भूमि **गोत्र** (Clan) की होती है। यहाँ मातृवंश परम्परा है। हर कुल की पूर्वज माँ होती है। सभी अपने को इस माँ की संतान समझते हैं। इस जनजाति में व्यक्ति की पहचान उसके कुल यानी **कुर** से होती है। **कुर** के लोगों में एकता और सहकारिता की भावना होती है। यहाँ मातृवंश महत्त्वपूर्ण है।

विवाह के नियम (Rules of Marriage)

इस जनजाति में विवाह के नियम निषेधात्मक हैं। उदाहरण के लिये मामा के जीवन काल में मामा की बेटी से विवाह और पिता के जीवन काल में बुआ की बेटी से विवाह करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त सगे चाचा व मौसी की संतानों में भी विवाह की अनुमति नहीं है और पिता से सम्बद्ध तीन पीढ़ी तक भी संतानों के बीच भी विवाह नहीं होता है। **विवाह के निषेधात्मक नियमों के संदर्भ में देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि शेष बची श्रेणियों में विवाह हो सकता है।**

खासी जनजाति की नातेदारी के बारे में महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस समाज में वंशक्रम समूह का निर्माण एक से तीन पीढ़ियों में पूरा होता है। आवास एवं सम्पत्ति की दृष्टि से माँ-बेटी अथवा मातृवंश परम्परागत सम्बन्धों को प्रमुखता दी जाती है। माँ-बेटी के बाद बहिन-भाई का सम्बन्ध मुख्य है तथा पति-पत्नी के सम्बन्ध का तो एक तरह से बलिदान ही हो जाता है। अधिकांश मातृवंश परम्परात्मक समाजों में सम्पत्ति माँ से बेटी को जाती है। खासी समुदाय में भी यही है परन्तु पति की स्वअर्जित सम्पत्ति विवाह के बाद उसकी पत्नी तथा बच्चों को मिलती है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

सही विकल्प चुनियें–

4. किस समाजशास्त्रीय के अनुसार तंजोर जिले में पितृवंश को कुट्टम कहते हैं–
   (क) कैथलीन ग़फ (ख) दुर्खिम (ग) कार्ल-मार्क्स।
5. ग़फ को प्रत्येक जाति की एक से लेकर बारह तक ····· पितृवंश परम्पराएँ एक गाँव में मिली हैं।
   (क) बहिर्विवाह (ख) सामूहिक विवाह (ग) द्वि-विवाह
6. किस समाजशास्त्रीय के अनुसार उत्तर भारत में नातेदारी शब्दावली वर्गीकरणात्मक नहीं है–
   (क) रेम्जे मैकडोनाल्ड (ख) लुई डयूमों (ग) इरावती कर्वे।

11.4 भारत में नातेदारी: उत्तर व दक्षिण भारत (Kinship in India: North and South India)

भारत एक विविधतापूर्ण देश है जिसके विभिन्न क्षेत्रों में परिवार और विवाह से उपजे सम्बन्धों की दुनियाँ यानी नातेदारी की अनेक पद्धतियाँ पायी जाती हैं। मुख्य रूप से हमारे देश में दो तरह के नातेदार हैं–रक्त सम्बन्धी नातेदार और विवाह सम्बन्धी नातेदार। इन दोनों को समेट कर देखें तो उत्तर भारत में पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था है और दक्षिण के कुछ राज्यों तथा उत्तर पूर्व के कुछ भागों में मातृवंशीय नातेदार हैं। इस तरह हमारे यहाँ नातेदारी के दो प्रतिमान हैं–पितृवंशीय। जब हम दक्षिण के मातृवंशीय परिवारों की तुलना उत्तर से करते हैं तो इसमें हम पूर्वी भारत के खासी और गारो जनजाति की मातृवंशीय व्यवस्था को भी शामिल करते हैं। जब हम इन दोनों व्यवस्थाओं की तुलना करते हैं तो तुलना में कुछ तथ्य उत्तर और दक्षिण भारतीय नातेदारी व्यवस्था में असमानता को बताते हैं और कुछ समानता को बताते हैं। पहले हम इन दोनों व्यवस्थाओं की असमानताओं को देखते हैं–

असमानताएँ (Dissimilarities)

नातेदारी में विवाह के नियम यानी किससे विवाह किया जाए और किससे नहीं, महत्त्वपूर्ण होता है। हमने देखा कि उत्तर भारत में विवाह के नियम **नकारात्मक** (Negative) हैं, जबकि दक्षिण के विवाह के नियम **सकारात्मक** (Positive) हैं। यह बहुत बड़ा अन्तर है। उत्तर भारत में विवाह सम्बन्ध से एक परिवार हर तरह से दूसरे परिवार से जुड़ता है। और कहीं-कहीं तो एक गाँव दूसरे गाँव से। आदिवासियों में तो जहाँ ग्राम बहिर्विवाह होता है वहाँ एक गाँव दूसरे गोत्र के गाँव से नातेदारी में बँध जाता है। दक्षिण भारत में स्थिति दूसरी हैं यहाँ अधिकतर विवाह सम्बन्ध एक छोटे से समूह के बीच होते हैं और पिता तथा माता दोनों पक्षों के सम्बन्धों पर ज़ोर दिया जाता है। इसके अलावा लगभग कोई क्षेत्रीय बहिर्विवाह नहीं होता। **उत्तर और दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था का यह बहुत बड़ा अन्तर है।**

दोनों व्यवस्थाओं में एक और असमानता हैं **यह असमानता नातेदारी** शब्दावली में है। उत्तर भारत में नातेदारी शब्दावली में रक्त से सम्बन्धित तथा विवाह से सम्बन्धित **नातेदारी के पृथक्करण पर ज़ोर दिया जाता है।** दक्षिण भारत में नातेदारी शब्दावली में विवाहजन्य सम्बन्धियों के बीच सम्बन्धों की समान स्थिति पर ज़ोर दिया जाता है। यहाँ द्रविड़ शब्दावली की संरचना वर्गात्मक नाते सम्बन्धों के सिद्धान्त पर आधारित है तथा एक पीढ़ी को चचेर-मौसेरे और फूफेरे-ममेरे भाई बहिनों में अन्तर करती है। दक्षिण भारत में यह विभेद विवाह के संदर्भ में बहुत महत्त्वपूर्ण है जबकि उत्तर भारत में यह विभेद कोई मतलब नहीं रखता।